

बिहार सरकार
स्वास्थ्य विभाग

आदेश

सं०सं०-2/एल-194/2022- /स्वा०, पटना, दिनांक / /2022

डा० साजिया तरन्नुम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण द्वारा दिनांक-01.05.2023 से 02.07.2023 तक कुल-63 (तिरसठ) दिनों के उपभोगित अवकाश अवधि को वित्त विभागीय पत्रांक-9889, दिनांक-01.12.2015 एवं वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना के ज्ञापांक-1575(25), दिनांक-28.07.2025 के आलोक में शिशु देखभाल अवकाश के रूप में स्वीकृत किया जाता है। इस अवकाश के पश्चात् डा० तरन्नुम का 486 (चार सौ छियासी) दिनों का शिशु देखभाल अवकाश आदेय रह जाता है।

2. इसमें सक्षम प्राधिकार का अनुमोदन प्राप्त है।

ह०/-

(विनोद कुमार पाठक)
सरकार के उप सचिव।

ज्ञापांक-2/एल-194/2022- 116(2) पटना, दिनांक 22/01/2026

प्रतिलिपि : महालेखाकार (ले० एवं ह०) बिहार, वीरचन्द पटेल पथ, पटना/ प्रभारी पदाधिकारी, वित्त (वै०दा०नि०को०) विभाग, बिहार, पटना को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : असैनिक शल्य चिकित्सक-सह-मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी, पूर्वी चम्पारण/प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण/ डा० साजिया तरन्नुम, चिकित्सा पदाधिकारी, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, बंजरिया, पूर्वी चम्पारण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपि : आई०टी० मैनेजर, स्वास्थ्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

Winkank 21/1/26
सरकार के उप सचिव।
1